पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 5467

Date /दिनांक: 01/04/2025

संचिका सं०- P/PURANDARPUR/PRN-G+4/829/2023 के पुनरीक्षित

सेवा में,

M/S Shasthi Infrabuild Pvt. Ltd.
Director-Sri Santosh Kumar
S/O-Sri Ram Binod Sharma
Add.-Saguna, Mainpura,
P.S.-Danapur Kant, Patna.

विषय :– **प्लॉन केस सं0– P/PURANDARPUR/PRN-G+4/829/2023 के पुनरीक्षित नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन के अनुपालन में प्लान केस संख्या–P/PURANDARPUR/PRN-G+4/829/2023 के पुनरीक्षित नक्शा के संदर्भ में M/S Shasthi Infrabuild Pvt. Ltd., Director-Sri Santosh Kumar S/O-Sri Ram Binod Sharma, Add.-Saguna, Mainpura, P.S.-Danapur Kant, Patna. के निर्मित भवन के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के खेसरा सं०–161, खाता संख्या–10, थाना नं०–07, मौजा–PURANDARPUR, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **257.69 वर्ग मीटर** का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) निर्मित भवन से संबंधित भूमि **9.60मी० से 10.10मी०** चौड़ाई के वर्त्तमान पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य है।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार /ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **अतिरिक्त भू–पट्टी–20.96 वर्ग मीटर वर्ग मीटर** भूमि की भू–पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) आवेदक द्वारा नक्शा के अनुसार 10% ग्रीन एरिया का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

विश्वासभाजन,

29/3/23

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।